

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट केम्प भाड़खा

क्रमांक रीडर/2023/ 2071

दिनांक - 21/07/23

प्रार्थी

वनाम

अप्रार्थीगण

1 वीरमाराम पुत्र सिमरथाराम
जाति कुम्हार निवासी भाड़खा
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।


1 कानाराम पुत्र केसराराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी
गुलाबोणियों की ढाणी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 311/2023

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 806/433 रकबा 17.8304 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फराल पर रीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 21/07/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 2072 to 2075
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. वीरमाराम पुत्र सिमरथाराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कानाराम पुत्र केसराराम वगैराह जाति कुम्हार निवासी गुलाबोणियों की ढाणी भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर